



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-240009
CG-DL-E-03112022-240009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4899]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2022/कार्तिक 12, 1944

No. 4899]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5118(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
(i)	निदेशक (रेशम उत्पादन), रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एल.डी.ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गोमतीनगर, लखनऊ-1 (उत्तर प्रदेश)	केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(च) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर नामित
(ii)	निदेशक (रेशम उत्पादन), रेशम उत्पादन निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, प्रेमनगर, देहरादून (उत्तराखंड)	केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(च) के तहत उत्तराखंड सरकार की अनुशंसा पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

प्राजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2022

S.O. 5118(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following Officers to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification, subject to the provisions of the Act:

Sl. No	Name and designation	Section of the Act
(i)	Director (Sericulture), Directorate of Sericulture, Govt. of Uttar Pradesh, L.D.A. Commercial Complex, Gomtinagar, Lucknow-1 (Uttar Pradesh)	Nominated on the recommendation of Govt. of Uttar Pradesh, under Section 4(3) (g) of the CSB Act, 1948.
(ii)	Director (Sericulture), Directorate of Sericulture, Govt. of Uttarakhand, Premnagar, Dehradun (Uttarakhand).	Nominated on the recommendation of Govt. of Uttarakhand, under Section 4(3) (g) of the CSB Act, 1948.

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.